कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 04.01.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राम भवन सिंह पुत्र अमर सिंह नि0 चडौआ थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–11/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राजेन्द्र पुत्र धर्मराज सोनकर नि0 रायपुर ब्रम्हचारी पण्डितपुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–4/21, 02. सनेही सोनकर पुत्र कल्पनाथ सोनकर नि0 गोपालपुर चौबे थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–5/21, 03. चिन्ताराम पुत्र स्व0 फूले नि0 गोपालपुर चौबे थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मुं0अ0सं0–06/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना मनकापुर पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त राजन पुत्र बिरजू डोम नि0 बरवा छत्तर दास थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर को थाना मनकापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0–473/20, धारा 363.366.376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला–फुसला कर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना मनकापुर में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें मनकापुर पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।